

विभाषा कार्यक्रम

1958. श्री शोकार शाल वेरेवा : क्या विभाषा, समवय कल्पना और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) कौन कौन से उद्दीप्त ने विभाषा कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है; और

(ख) कौन रुपों द्वारा उक्त कार्यक्रम को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

विभाषा, और समवय कल्पना मंत्रालय तथा संस्कृति विभाषा में उपचारी (श्री डॉ पी० शाहव) : (क) धीर (ख). भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के प्रतामन से तथा केन्द्रीय विभाषा सलाहकार बोर्ड की सलाह पर, जिन्होंने भाषा के प्रश्न पर 1956 में विस्तृत विचार किया था विभाषा सुन तैयार किया गया था। राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की अगस्त, 1961 में हुई बैठक में इस मूल को मरण बनाया गया तथा इसे राज्यों में लागू करने के लिये स्वीकृत ही गई थी। तथापि लम्बिताहु की तकालीन सरकार ने जनवरी, 1968 से राज्य स्कूलों में विभाषा मूल को समाप्त कर दिया, जो कि राज्य विभाषा मंडल द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसरण में था।

हरियाणा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर नवा मेषालय के राज्य, जोकि मुख्य मंत्रियों की उपर्युक्त बैठक के बाद अस्तित्व में आए थे, विभाषा मूल को लागू कर रहे हैं। विपुरा मूल स्तर पर पर्वतम बंगाल की विभा पद्धति को लागू कर रहे हैं तथा नाशालैड की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा रहा है। सिक्किम राज्य ने अपनी भाषा नीति अपनी तैयार नहीं की है।

कुछ राज्यों ने मूल को कार्यान्वय करने मुन्ह मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की 1961 में हुई बैठक में पारित

किये गये विभाषा मूल में, जिसे 1968 में संसद् में भाषा संबंधी संकल्प में पुन निर्मित किया गया था, कुछ संशोधन किये हैं जिनकी वर्तमान माला की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

आलू नियम

1959. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या आलू के मूलों में भासि विगवट के कारण आलू के उत्पादक किसानों को धोर आविष्कर मंकट का मामना करना पड़ रहा है

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार किसानों को उजड़ने से बचाने के लिए आलू का समर्थन मूल्य निर्धारित कराने तथा आलू नियम को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो कब; और

(घ) सरकार का विचार आलू उत्पादकों के हितों की किस प्रकार रक्खा करने का है;

हवि और सिंचाई मंत्रालय में उपचारी (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). इस सभ्य ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आलू पैदा करने वाले किसानों के हितों की रक्खा करने के लिए सरकार ने नीचे लिखे उत्तर किए हैं।

(1) राज्यों की सहकारी विभाग संघ को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में लगभग 45 रुपये प्रति विवरण के